

(1)

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, बुरहानपुर
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

क्रमांक/मंडी/निर्माण/2018-19/1851

बुरहानपुर, दिनांक 10/09/2018

—:निविदा आमंत्रण सूचना:—

एतद् द्वारा समस्त कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर तथा साफ्ट-वेअर का संचालन कार्य के अनुभवी पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि, कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर के रेणुका माता रोड पर स्थित नवीन कपास मण्डी प्रांगण, बुरहानपुर में निर्मित केला निलामी सभागृह में कम्प्यूटरराईज्ड इलेक्ट्रानिक प्रोजेक्टर के माध्यम से केले की किस्म प्रदर्शन के आधार पर केले का विपणन कार्य संचालन कराया जाना है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न केला गुप्स द्वारा प्रस्तुत विवरणियों का कम्प्यूटर के माध्यम से डाटा इन्ट्री करने के उपरान्त क्रमवार प्रदर्शन कर केले का विपणन कार्य सम्पादित कराना होगा।

अतः उपरोक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्मों से निविदाएँ दिनांक 28/09/2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर में आमंत्रित किये जाते है, प्राप्त कोटेशन उसी दिनांक 28/09/2018 को दोपहर 04:00 बजे निविदा प्रस्तुतकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे, जिसका कार्य विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	कार्य विवरण	दर
01	02	03
01	केला गुप्स द्वारा प्रस्तुत विवरणियों का कम्प्यूटर में डाटा इन्ट्री करने के उपरान्त उनका प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रोजेक्टर स्क्रीन पर क्रम-वार प्रदर्शन करने हेतु कार्य में दक्ष मानव संसाधन लगाकर कर केला का सम्पूर्ण विपणन सम्पादित कराना।	मासिक/वार्षिक दर के आधार पर

शर्त:-

01- उपरोक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व दिनांक 28/09/2018 को अपरान्ह 02:00 बजे तक अमानत राशि रु. 10,000/- (अक्षरी दस हजार रु.) नगद कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगी, बगैर अमानत राशि के कोटेशन स्वीकार नहीं किये जावेंगे, विस्तृत शर्तें कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर में कार्यालयीन समय में अवकाश दिवसों को छोड़कर देखी जा सकती है।

02- उक्त कार्य की निविदा आमंत्रण सूचना www.mpmmandiboard.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

(रमकीबाई दवलसिंग)
अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति
बुरहानपुर

F:\Manoj Choudhary\Tec. Letter.doc

please online this
Attached N.I.T. No 1851
Buranpur Dtd. 10/9/18
on w.w.w.mpmmandiboard.
gov.in

(रामवीर किरार)
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
बुरहानपुर

(Handwritten signature)
28/9/18


— २ —

७

विस्तृत शर्तः-


- 02- उक्त कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार के पास एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा जैसे डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए. का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है, जिसकी प्रमाणित छायाप्रति जो कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगी, वांछित प्रमाण-पत्र नहीं पाये जाने पर प्रस्तुत कोटेशन दर पर विचार किया जाकर अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।
- 03- कम्प्यूटर कार्य करने वाले कर्मचारियों को केला निलामी की बोली समझने की क्षमता अनिवार्य रहेगी।
- 04- केला निलामी कार्य सम्पूर्ण माह में निरन्तर प्रतिदिन चालू रहता है, जिसमें ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों की उपस्थिति रखना अनिवार्य रहेगी, कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश ठेकेदार द्वारा अपनी व्यवस्था के आधार पर देना अनिवार्य होगा।
- 05- उक्त कार्य की ठेका राशि ठेकेदार को अपने निविदा में प्रतिमाह व वार्षिक दर पृथक-पृथक दर्शाना होगी।
- 08- उक्त कार्य के सम्बंधित न्यूनतम निविदाकार को ठेके की स्वीकृत दर अनुसार कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही भुगतान की जावेंगी।
- 09- उक्त कार्य हेतु सम्बंधित निविदाकार द्वारा पदस्थ कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना या जनहानि होने पर उसका मुआवजा कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर द्वारा कर्मचारियों/ठेकेदार को नहीं दिया जावेगा। कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की समस्त जवाबदारी सम्बंधित ठेकेदार की होगी, जिसका ई.पी.एफ. पंजीयन सम्बंधित फर्म को कराना होगा।
- 10- न्यूनतम निविदाकार को कम्प्यूटर पद्धति से मासिक केला निलामी कार्य एवं रखरखाव मरम्मत कार्य हेतु कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप राशि रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबंध निष्पादित करना होगी।
- 11- केले निलामी के संचालन कार्य प्रारम्भ होने के 03 घण्टे पूर्व अर्थात् 11:00 बजे से केला निलामी सभागृह में उपस्थित होकर समस्त उपकरणों का परीक्षण कर सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, किसी भी दशा में केले की निलाम में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने का उत्तरदायीत्व सम्बंधित संचालनकर्ता फर्म का रहेगा।
- 12- उक्त कार्य के देयक से शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार आवश्यक करों का कटौती किया जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।
- 13- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किये जावेंगी।

(रमकीबाई दवलसिंग)
अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति
बुरहानपुर


(रामवीर किरार)
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
बुरहानपुर

प्रतिलिपि:- सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

- (01) कलेक्टर कार्यालय, बुरहानपुर।
- (02) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग, बुरहानपुर।
- (03) जिला पंचायत, बुरहानपुर।
- (04) केला निलामी हॉल/कपास/अनाज प्रांगण रेणुका माता रोड, बुरहानपुर।
- (05) कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, बुरहानपुर।
- (06) नगर पालिक निगम, बुरहानपुर।


सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
बुरहानपुर (म.प्र.)